संख्या-12/2017/255/84-1-17-21बामा/2009टी.सी-4

प्रेषक,

डा0 जटा शंकर त्रिपाठी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ: दिनॉक 16 मई, 2017

विषय- कार्यमानक प्रयोगशाला/द्वितीय मानक प्रयोगशाला के भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-472/निविमावि-लेखा-7(25)मॉग/2016-17 दिनॉक 23.03.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यमानक प्रयोगशाला, मुजफफरनगर, मोदी नगर(गाजियाबाद), गौतमबुद्धनगर(नोयडा), बॉसडीह(बलिया), खुर्जा(बुलन्दशहर), अतर्रा(बॉदा) एवं द्वितीयमानक प्रयोगशाला वाराणसी के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु आवश्यक धनराशि तथा शासनादेश संख्या-02/1255/84-1-2014 21बामा/2009 टीसी-4 दिनांक 20.01.2015 द्वारा नगर आयुकत सहारनपुर के प्रस्ताव के अनुसार भूमि क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 4,76,000/- से क्रय भूमि के पटटा अभिलेख के निष्पादन हेतु आवश्यक धनराशि निम्न तालिका के अनुसार कॉलम-5 में अंकित धनराशि की सीमा तक कुल रू0 49,16,560/- (रूपये उन्चास लाख सोलह हजार पॉच सौ साठ मात्र) की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत शर्तो के अधीन प्रदान करतें हैं -

क्र0सं0	कार्यमानक प्रयोगशाला का नाम	स्वीकृत लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	स्वीकृत की जा रही अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5
1	कार्यमानक प्रयोगशाला, मुजफ्फरनगर	25,73,000	25,00,000	73,000
2	कार्यमानक प्रयोगशाला, गौतमबुद्धनगर(नोयडा)	32,41,000	16,20,500	16,20,500
3	कार्यमानक/द्वितीयमानक प्रयोगशाला, वाराणसी	59,87,000	58,88,000	99,000
4	कार्यमानक प्रयोगशाला, बॉसडीह(बलिया)	27,04,000	25,00,000	2,04,000
5	कार्यमानक प्रयोगशाला, खुर्जा(बुलन्दशहर)	27,38,000	13,69,000	13,69,000
6	कार्यमानक प्रयोगशाला, अतर्रा(बॉदा)	27,78,000	25,00,000	2,78,000
7	कार्यमानक प्रयोगशाला, मोदी नगर(गाजियाबाद)	25,06,000	12,53,000	12,53,000
8	जनपद सहारनपुर में क्रय भूमि के पटटा विलेख निष्पादन अवशेष धनराशि	-	-	20,060
	योग-	-	-	49,16,560

(रूपये उन्चास लाख सोलह हजार पॉच सौ साठ मात्र)

1- प्रश्नगत कार्य निर्धारित मानक के अनुरूप समय से पूर्ण कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2- उक्त कार्यमानक प्रयोगशालाओं के भवन निर्माण के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।
3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-21 के पूंजीलेखा के लेखाशीर्ष- "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-द्वितीयमानक प्रयोगशाला/कार्यमानक प्रयोगशाला/ कैलिब्रेशन टावर्स का भवन निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।
4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02.01.2017 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 जटा शंकर त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्या-12/2017/255(1)/84-1-17-21बामा/2009टी.सी.-4-तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- प्रबन्ध निदेशक यू0पी0 स्टेट कांस्टक्शन एण्ड इन्फरास्टक्चर डेवलेपमन्ट कारर्पोरेशन लि0 लखनऊ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 जटा शंकर त्रिपाठी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।